न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/256/2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनयान

1. शम्भुलाल पिता रामा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादी

वनाम

1. उंकार पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 सुन्दरबाई विधवा छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मु0 चान्दी पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मु0 मेहताबी पिता छोगा पत्नी जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल रेवलिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
5. मु0 भैरी पिता छोगा पत्नी जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. मु0 कमला पिता छोगा पत्नी रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी पांडोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. उदा पिता हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 02.12.2025

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा कल्याणुपरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ में आराजी नम्बर 218, 219, 220, 221, 222, 277, 278, 279 कुल किता 8 कुल रकबा 1.84 हैक्ट0 स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का दर्ज है।

यह कि इसी प्रकार मौजा कल्याणपुरा में ही आराजी नम्बर 269, 270, 271, 272 कुल किता 04 कुल रकबा 1.86 हैक्ट0 स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक के नाम पर दर्ज है। व सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा रामा का था व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को हजारी से मिला, उक्त हजारी का हिस्सा विवादीत नही है। रामा का 1/2 हिस्सा होने से विरासत से 1/4 हिस्सा वादी एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होना चाहिए इसके बजाय सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक के नाम पर ही दर्ज है जिससे वादी यह घोपणा कराने का अधिकारी है कि दावे की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत है व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक 1/2 हिस्से के खातेदार न होकर सिर्फ 1/4 हिस्सा ही उनका है व बकाया 1/4 हिस्सा मुझ वादी का है।

यह कि इसी प्रकार कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात भी अकेले रामा की होने से एवं वादी उसका पुत्र होने से 1/2 हिस्से का हकदार है मगर राजस्व रेकार्ड में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक के नाम ही दर्ज है जो गलत होकर निरस्त होने योग्य है जिससे वादी यह घोषणा कराने का अधिकारी है कि दावे की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक का सिर्फ 1/2 हिस्सा ही है व बकाया 1/2 हिस्सा मुझ वादी का है।

यह कि उपरोक्त कॉलम संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में वादी अपने हिस्सेअनुसार काबिज है मगर प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 कानून हाथ में ले राजस्व रेकार्ड का नाजायज फायदा उठा वादी को

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

बेदखली एवं आराजीयात को हस्तान्तरित करने पर उतारू है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा ऐसा न करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

यह कि यदि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक को कोई नुकसान नही है व जारी न किये जाने पर मुझ वादी को अपार क्षति है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 ने दिनांक 15.02.2017 को विवाद किया आराजीयात से मुझ वादी का कब्जा हटाने एवं आराजीयात को हस्तान्तरण की धमकी दी जिससे वादपत्र पेश करने की विनाय पैदा हो रही है जिसकी शुरूआत दिनांक 15.02.2017 से लगातार है।

अन्त में निवेदन किया कि –

वादी का वादपत्र स्वीकार फरमा दावे की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक के दर्ज 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा मुझ वादी का होने की घोषणा कराई जावें इसी प्रकार वादपत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा मुझ वादी का होने की घोषणा कराई जावें।

यह कि वादपत्र स्वीकार फरमा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे की मुझ वादी को संयुक्त कब्जे काश्त से बेदखल नही करे एवं उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे एवं न ही किसी से करावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 5, 6, 7 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 21.07.2023 को तथा प्रतिवादी सं0 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 25.07.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में वादी शम्भूलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पत्रावली पर दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो क्रमशः प्रदर्श–1, 2, 3, 4 व 5 है।

बहस वादपत्र सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया। जमाबन्दी संवंत् 2071 से 2074 प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के वाद वर्णित आराजीयात के अतिरिक्त अन्य आराजीयात जो कि प्रदर्श–1 हैं में शम्भू पिता रामा 1/4 दर्ज है व वाद वर्णित आराजीयात में वादी का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया। प्रस्तुत दस्तावेजों व शपथ पत्र के अवलोकन से वादी अपना वाद सिद्ध कराने में सफल रहा। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा कल्याणुपरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ में आराजी नम्बर 218, 219, 220, 221, 222, 277, 278, 279 कुल किता 8 कुल रकबा 1.84 हैक्ट0 में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा के बजाय 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 1/4 हिस्सा में वादी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है, तथा मौजा कल्याणपुरा के आराजी नम्बर 269, 270, 271, 272 कुल किता 04 कुल रकबा 1.86 हैक्ट0 स्थित है, में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 1/2 हिस्सा में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन